International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-8 Issue 7-12, July - December'2020 pp.(34–42)

सन् 1937 से 1947 तक भारत में संवैधानिक सुधारों का विवेचनात्मक अध्ययन

मधुसूदन प्रकाश
सहा. प्राध्यापक, इतिहास
शा. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भोपाल

किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं होता है, संविधान एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है । अत एक भारतीय संविधान के आधुनिक विकसित रूप को समझने के लिए उसकी एतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सम्यक् ज्ञान आवश्यक है।

सन् 1936 में कांग्रेस ने चुनाव जीतकर विधानमंडलों के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करना उचित समझा, अतः यद्यपि 1934 में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ लेकिन राजनीतिक दलों के पारस्परिक मतभदों के कारण वे सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सके यही नहीं पंडित जवाहर लाल नेहरू का 1935 के अधिनियम के संबंध में कहना था कि इसके अन्तर्गत परिसंघ का ढांचा इतना अधिक प्रतिक्रियावादी था कि इसमें विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। वस्तुतः यह विधान दासता का नवीन राजपत्र था। [1.] डॉ. कीथ के अनुसार ''इस अधिनियम के अनुसार एक ओर भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया या था कि उन्हें सब कुछ दे दिया या हैं जबकि दूसरी ओर संरक्षणों और आरक्षणों द्वारा अंग्रेजी को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया हैं। [2.] प्रांतों की कांग्रेस सरकारों के दो वर्ष के कार्यकाल से यह स्पष्ट हो गया कि सन् 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत लागू की गई सांवैधानिक व्यवस्था भारतीयों को स्वीकार्य नहीं होगी। कांग्रेस यह भली–भाति जान गयी थी कि भारत के लिए कोई भी संविधान भारत की स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए जिसका निर्माण स्वयं भारतीय संविधान–सभा द्वारा किया गया हो। उधर, मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए विरोध के कारण भी संघीय व्यवस्था सफलता पूर्वक लागू नहीं की जा सकी। सी. वाई. चिंतामणि जैसे उदारवादी नेता ने भी सन् 1935 के सुधारों को भारतीय–विरोधी निरुपित किया। [3.] सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ। परिणामतः ब्रिटिश संसद ने भारत शासन (संशोधन) अधिनियम 1939 पारित कर यद्ध की स्थिति में प्रांतीय सरकारों को व्यापक अधिकार प्रदान किये तथा परिसंघ योजना स्थगित कर दी। परिणामतः कांग्रेस शासित कुछ प्रांतों में लागू प्रांतीय स्वायत्त शासन का पूर्णतः अन्त हो गया। केवल मुस्लिम बहुमत प्रांत बंगाल, पंजाब और सिंध में उत्तरदायी सरकारें 10 वर्ष तक कार्य करती रहीं।

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के केन्द्रीय विधान मंडल या भारतीय जनता को विश्वास में लिए बिना भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया गया। भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को अपनी युद्ध–नीति और उसके उद्देश्य को स्पष्ट किये जाने की माँग की। इस पर ब्रिटिश सरकार की संतोषजनक प्रतिक्रिया न होने के कारण सभी आठ प्रांतों की कांग्रेस सरकारों ने नवंबर 1939 में अपने त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिये। परिणामतः इन प्रांतों का शासन गवर्नरों ने स्वयं सँभाल लिया।

इसी बीच मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार की नाजुक स्थिति का लाभ लेते हुए अपनी कांग्रेस विरोधी कार्यवाहियां तेज कर दी।

अगस्त प्रस्ताव 1940

जून 1940 को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को लिखा कि ''हम ब्रिटिश सरकार को बरबाद करके स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। अतः कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 7 जुलाई 1940 को सूचित किया हम युद्धकाल में देश की प्रतिरक्षा में ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर सहयोग देने के लिए सहमत हैं कि केन्द्र में तत्काल राष्ट्रीय सरकार का गठन हो और भारतीयों की देश की स्वतंत्रता की माँग सरकार स्वीकार कर ले। मुस्लिम लीग ने अवसर न छोड़ते हुए पुनः पृथक पाकिस्तान की माँग दुहराई तथा केन्द्र और प्रांतों में मुसलमानों को बराबरी का प्रतिनिधित्व दिये जाने की मांग भी की। परंतु तत्कालीन गवर्नर–जनरल लार्ड लिनलिथगो ने मुस्लिम लीग की मागे अस्वीकार कर दी।

इसी बीच युद्ध की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सशर्त–सहयोग प्राप्त करना उचित समझा। परिणामतः लार्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार की ओर से एक घोषणा की जो अगस्त घोषणा, 1940 के नाम से विख्यात है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे :–

1. विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात एक वर्ष की अवधि में भारत को अधिराज्य की प्रास्थिति (क्वउपदपवद `जंजने) प्रदान करना, ब्रिटिश सरकार की घोषित नीति है।

Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-8 Issue 7-12, July - December'2020 pp.(34–42)

2. भारत के लिए नये संविधान का निर्माण मुख्यतः भारतीयों का ही उत्तरदायित्व होगा। [4] इस हेतु युद्ध के पश्चात् भारत के लिए नया संविधान बनाने के लिए राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए व्यक्तियों के एक निकाय का गठन किया जाएगा।

3. ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक दलों के मुख्य प्रतिनिधियों को मिलाकर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार करने के लिए तैयार है, और

4. वायसराय एक युद्ध–परामर्श समिति का गठन करेगा जिसमें भारतीय ने देशी राज्यों तथा भारत के राष्ट्रीय जीवन से सम्बद्ध अन्य हितों के प्रतिनिधियों का समावेश होगा।

5. इस अगस्त प्रस्ताव में अल्प–संख्यकों को आश्वासन दिया गया कि ब्रिटेन ऐसी किसी सरकार को सत्ता नही सौंपेगा जिसके प्राधिकार को भारत के प्रमुख प्रभावशाली घटक स्वीकार करने को तैयार न हों।

6. युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार संविधान–निर्माण के कार्य को सफल बनाने ने लिए हर संभव प्रयास करेगी।

प्रस्ताव के अन्त में गवर्नर जनरल ने यह आशा व्यक्त की कि भारत से सभी राजनीतिक दल तथा संप्रदाय युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे।

सन् 1940 के अगस्त प्रस्ताव की अग्रिम प्रतियाँ कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा हिन्दु महासभा के अध्यक्षों को भेजी गईं ताकि वे इस पर विचार कर सकें। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा गांधीजी ने इसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन (ब्पअपस क्पेवइमकपमदबम डवअमउमदज) आरंभ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 1940 में प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गए। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया पर बाद में 28 सितम्बर 1940 को अस्वीकार कर दिया।

क्रिप्स मिशन, 1942

अगस्त प्रस्ताव के तुरंत बाद विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति बिगड़ती गई। सन् 1941 के अंत तक सैनिक दष्टि से ब्रिटेन बहुत कमजोर हो चुका था। फलतः ब्रिटिश प्रधान मंत्री विन्सटन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश युद्ध–केबिनेट (ठतपजपेी ॅंत ब्ंइपदमज) के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को ब्रिटिश सम्राट की ओर से भारतीय सांविधानिक प्रस्ताव लेकर भारत भेजने का निर्णय लिया है। ताकि भारतीयों की समस्याओं को हल किया जा सके। सर क्रिप्स भारतीय नेताओं से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त कराएँ कि ये सांविधानिक प्रस्ताव भारतीय समस्याओं को उचित और अंतिम रूप से हल करने में सहायक होंगे।

सर क्रिप्स का 22 मार्च 1942 को दिल्ली (भारत) आगमन हुआ और उन्होंने आते ही गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद के सदस्यों से प्रारंभिक चर्चा शरू कर दी और उन्हें अपने प्रस्तावित सांविधानिक योजना से अवगत कराया। सर क्रिप्स ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा समुदायों से साक्षात्कार किया और उन्हें अपने प्रस्तावों से परिचित कराया। क्रिप्स मिशन 13 अप्रैल 1942 को इंग्लैंड वापस लौट गया। [5] भारत में अपने 20 दिनों के निवास की अवधि में सर क्रिप्स ने लगभग सभी भारतीय नेताओं से वार्तालाप किया लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा।

क्रिप्स मिशन द्वारा लिए गए सांविधानिक प्रस्तावों को ब्रिटिश सरकार की प्रारुप घोषणा (क्तंजि क्मबसंतंजपवद) के रूप में 30 मार्च 1942 को प्रकाशित किया गया था जिसमें अन्तरिम तथा युद्धोत्तर समझौते । का मसौदा था।

क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित थे :–

1. अंतरिम व्यवस्था के रूप में यह प्रस्तावित था कि जब तक नया संविधान न बन जाए तब तक भारत की प्रतिरक्षा की सीधे जिम्मेदारी ब्रिटिश सम्राट अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा शेष समस्त प्रशासन गवर्नर–जनरल की कार्यकारिणी परिषद् के भारतीय सदस्यों को सौंप दिया जाएगा।

2. ब्रिटिश अधिराट की सरकार का उद्देश्य भारत में ऐसे परिसंघ की स्थापना करना है जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का डोमीनियन होगा लेकिन अपने आन्तरिक और विदेशी मामलों में किसी भी प्रकार से ब्रिटेन के अधीन नहीं होगा।

3. यद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्मिति के लिए एक संविधान–निर्मात्री समिति का गठन होगा जिसमें देशी राजाओं को भी शामिल किया जाएगा। यदि विभिन्न भारतीय दल संविधान–समिति के गठन पर एकमत न हों, तो उस स्थिति में संविधान–समिति का एक प्रारूप सर क्रिप्स के पास तैयार था।

4. क्रिप्स प्रस्ताव में प्रांतों को नया संविधान को अस्वीकार करने की छूट दी गई थी तथा उस स्थिति में वे अपनी वर्तमान सांविधानिक व्यवस्था चाल रख सकते थे। उन्हें पृथक् संघ गठित करने की छूट भी दी गई थी। इसी प्रकार देशी राज्य (रियासतों) को भी यह विकल्प दिया गया था। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश सरकार किसी भी

Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-8 Issue 7-12, July - December'2020 pp.(34–42)

इकाई को 'डोमीनियन' में शामिल होने के लिए विवश नहीं करेगी।

5. शक्ति हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए यह प्रस्ताव था कि संविधान निर्मात्री–समिति व ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि होगी जिसमें उत्पन्न समस्याओं का हल, धार्मिक तथा अल्पसंख्यक जातियों की सुरक्षा आदि की व्यवस्था होगी।

6. संविधान निर्मात्री समिति की सदस्य संख्या प्रांतीय विधान सभाओं के 1/10 भाग से अधिक नहीं होगी।

7. क्रिप्स मिशन के अनुसार भारत के प्रमुख दलों के नेताओं को गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद के अलावा युद्ध–समिति, राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की 'पेसिफिक कौंसिल' में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित था।

क्रिप्स की इस योजना से मुस्लिम लीग आंशिक रूप से सन्तुष्ट थी, क्योंकि इसके द्वारा मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को एक कदम और आगे बढ़ा दिया था, किन्तु कांग्रेस इस योजना से सन्तुष्ट न थी क्योंकि उनकी पूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। गांधीजी ने इसे **'उत्तरतिथिय चैक'** [6] (च्वेज कंजमक बैमुनम) कहा जिसमें किसी ने **'टूटने वाले बैंक पर'** [7] और जोड दिया। स्वयं वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भी इसका विरोध किया क्योंकि इसमें कहा गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी एक मन्त्रिपरिषद के समान कार्य करेगी। इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री चर्चिल ने भी इस योजना का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वह भी वास्तविक सत्ता भारतीयों के हाथों में नहीं देना चाहता था।

अतः क्रिप्स योजना असफल हो गयी। क्रिप्स ने इस योजना की असफलता का पूर्ण उत्तरदायित्व कांग्रेस पर डाल दिया तथा विश्व को भारतीय राजनीति में बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता का ज्ञान कराने के लिए रेडियो पर भाषण किया। अपने भाषण में क्रिप्स ने कहा कि कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का अर्थ मुसलमानों और हरिजनों पर हिन्दुओं के प्रभुत्व की स्थापना करना होगा। अतः इंग्लैण्ड की सरकार ने क्रिप्स योजना का पूरा लाभ उठाया। यह दिखाकर कि भारत में स्वतन्त्रता की स्थापना करने के मार्ग में नेताओं के पारस्परिक मतभेद महत्वाकांक्षा व साम्प्रदायिकता थी, इंग्लैण्ड की सरकार ने चीन व अमरीकी सरकारों द्वारा डाले जा रहे दबावो से मुक्ति पाने का प्रयत्न किया। मौलाना आजाद ने इस विषय में लिखा, **''भारत और क्रिप्स में जो लम्बी बातचीत चली वह विश्व को मात्र यह प्रदर्शित करने के लिए थी कि कांग्रेस भारत की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था नहीं है तथा भारतीयों की पारस्परिक फूट ही समस्या न सुलझाने का वास्तविक कारण है।''** इसी प्रकार के विचार डॉ. मजूमदार ने भी प्रस्तुत किए हैं। उनके शब्दों में, **''चर्चिल ने मिशन राष्ट्रवादियों की मांगों को स्वीकार करने के लिए नहीं, अपितु अपने मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्यों तथा अमरीका के राजनीतिज्ञों को सन्तुष्ट करने के लिए भारत भेजना स्वीकार किया था। इस मिशन के द्वारा वह यह प्रमाणित करना चाहता था कि भारतीय समस्या इतनी जटिल है कि उसे हल नहीं किया जा सकता।''** [8]

भारत छोड़ो आंदोलन :–

क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत की राजनीतिक स्थिति बिगड़ गई। ब्रिटिश सरकार की विभाजन की नीति तथा मुस्लिम लीग की पृथक् पाकिस्तान की माँग ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता की आशा रखना व्यर्थ होगा इसलिए कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को 'भारत छोड़ो आंदोलन' का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया कि भारत तथा राष्ट्रसंघ के हित की दृष्टि से भारत से ब्रिटिश राज्य तत्काल समाप्त किया जाना अत्यावश्यक था क्योंकि ब्रिटिश सत्ता के कारण भारत की उन्नति पर अवरोध था। परिणामतः 9 अगस्त 1942 को बंबई में महात्मा गांधी सहित कांग्रेस की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तथा प्रांतीय कांग्रेस समितियों को अवैध घोषित कर दिया। लाई लिनलिथगो की इस दमनकारी नीति के कारण भारत छोड़ो आन्दोलन ने देशव्यापी रूप धारण कर लिया तथा समस्त भारत में आगजनी, तोडफोड तथा हडतालें, हिंसा आदि की घटनाएँ हुई। [9] इससे अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को गंभीर क्षति हुई। आन्दोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कदम उठाते हुए गोली चलाने, संपत्ति जब्त करने या सामूहिक गिरफ्तारी जैसी कार्यवाहियाँ की। जब सितंबर 1942 में आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तो क्रांतिकारियों ने पुलिस पर बम फेंके । महात्मा गांधी ने हिंसात्मक गतिविधियों क्षुब्ध होकर 10 फरवरी 1942 से तीन सप्ताह का अनशन भी किया और उन्हें जेल से मुक्त न किये जाने के विरोध में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के तीन भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया।

मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के 'भारत छोड़ो आंदोलन' को समर्थन नहीं दिया बल्कि उल्टे इसका विरोध करते हुए कांग्रेस नेताओं की इसके लिए आलोचना की। लीग के अनुसार इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में हिंदू राज्य स्थापित कर मुस्लिमों के हितों को ठेस पहुँचाना था। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर सहयोग देने का वचन दिया कि वह मुसलमानों को हिन्दुओं के बराबर प्रतिनिधित्व दे तथा देश को दो भागों में बाँटकर भारत से जाए।

Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-8 Issue 7-12, July - December'2020 pp.(34–42)

इन्हीं परिस्थितियों में लार्ड लिनलिथगो के स्थान पर लार्ड वॉवेल अक्टूबर, 1943 को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होकर भारत आए। लार्ड वावेल ''वृत्ति (व्यवसाय) से सैनिक थे, रुचि से कवि थे और पसंदगी से राजनेता ''(जंजमेउंद) थे।'' उनके आगमन से भारत में आशा की एक किरण जाग्रत हुई। [10.]

राजगोपालाचारी फार्मूला (1944) – इसी बीच कांग्रेस के एक निष्ठावान नेता श्री. सी. राजगोपालाधारी ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक–साथ लाने का प्रयत्न किया क्योंकि वे समझ चुके थे कि हिन्दू–मुस्लिम एकता के सिवाय भारतीय स्वतंत्रता संभव नहीं है। अपने मार्च 1944 के फार्मूले द्वारा उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया लेकिन मि. जिन्ना की हठवादी नीति ने इसे सफल नहीं होने दिया।

देसाई–लियाकत फार्मूला (1945) :– राजगोपालाचारी के प्रयास विफल होने के पश्चात् कांग्रेस के एक अन्य प्रमुख नेता श्री भुलाभाई देसाई ने कांग्रेस–मुस्लिम लीग को एक बार पुनः एकत्रित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने जनवरी 1945 के अपने फार्मूले में स्वतंत्र भारत में मिली–जुली सरकार (ब्वंसपजपवद ळवअमतदउमदज) स्थापित करने का सुझाव रखा जिसमें कांग्रेस दल और मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या बराबर होगी। परत दुर्भाग्यवश मि. जिन्ना ने इस बार सुझाव इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि इस समझौते की बातचीत में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। देसाई के प्रस्ताव की स्वयं उन्हीं के दल के नेताओं ने तीव्र आलोचना की। जिससे उनका राजनीतिक जीवन प्रायः समाप्त हो गया। परिणामतः विश्वयुद्ध की समाप्ति के समय तक भारत के राजनीतिक वातावरण में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ।

वावेल योजना तथा शिमला सम्मेलन (1945) :–

राजगोपालाचारी तथा देसाई के फार्मूलों को जिन्ना द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने से मुसलमानों की दृष्टि में जिन्ना का महत्व बहुत बढ़ गया था तथा वे उसे ही मुस्लिम हितों का संरक्षक एकमात्र नेता मानने लगे। 17 जून 1944 को लार्ड वावेल ने भारत में हिंदू–मुस्लिम एकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि सुरक्षा तथा अन्य आन्तरिक एवं बाह्य या आर्थिक समस्याओं की दृष्टि से भारत एक प्राकृतिक भौगोलिक इकाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस ढाई माह की इंग्लैण्ड में निवास की अवधि में वे भारत सचिव लाई एमरी (स्वतक ।उतमल) से मिले जिन्होंने समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव रखे जिन्हें लार्ड वावेल ने भारत में 14 जून 1945 को प्रकाशित कराया। लार्ड एमरी ने ब्रिटिश सम्राट की ओर से इन प्रस्तावों की घोषणा हाउस ऑफ कामन्स में की जिसमें ब्रिटिश लार्ड एमरी के इन प्रस्तावों को 'वावेल–योजना' कहा जाता है। इस योजना में निम्नलिखित सुझाव दिये गए थे :–

1. गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद् में गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन–चीफ के अलावा अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे। विदेश विभाग भी भारतीय को ही सौंपा जाना प्रस्तावित था। परिषद् में हिन्दू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर रहेगी। [11.] यह परिषद् सन् 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी।
2. सीमांत तथा जनजातियों के कल्याण को छोड़कर अन्य सभी मामलों का प्रशासन भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया जाएगा।
3. प्रतिरक्षा विभाग गवर्नर–जनरल के ही पास बना रहेगा।
4. वाइसराय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग तब तक नही करेगा जब तक कि ऐसा करना अपरिहार्य न हो जाए।
5. प्रांतो में गवर्नरों की सरकारें समाप्त करके मिली–जुली उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी।
6. इन परिवर्तनों से भारत के भावी स्थायी संविधान या संविधानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वायसराय वावेल ने उपर्युक्त योजना की घोषणा करते ही कांग्रेस के सभी नेताओं सहित महात्मा गांधी को रिहा कर दिया तथा उन्हें 25 जून 1945 को शिमला में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग, सिख तथा अन्य समुदायों के कुल 21 नेताओं को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई समझौता न होने के कारण वायसराय ने सभी सदस्यों से अपने दलों के नेताओं की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा । [12.] मौलाना आजाद में कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित कार्यपालिका सदस्यों की सूची प्रस्तुत की जिसमें सभी दलों के सदस्य सम्मिलित किये गए थे। इसी बीच मो. अली जिम्ना ने 11 जुलाई को वायसराय से भेंट की तथा इस बात को दुहराया कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में मुस्लिम सदस्यों के नाम प्रस्तावित करने का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग को है। मो. अली जिन्ना ने वायसराय द्वारा स्वयं तैयार की गई मुस्लिम सदस्यों की सूची अस्वीकार कर दी जब 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन पुनः प्रारंभ हुआ तो मो अली जिन्ना के हठवादी रवैये के कारण उसे असफल घोषित कर दिया गया और राजनीतिक गतिरोध यथावत् बना रहा।

केबिनेट मिशन :–

Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-8 Issue 7-12, July - December'2020 pp.(34–42)

इंग्लैंड में 10 जुलाई 1945 को श्रमिक दल सत्ता में आने के कारण क्लेमेंट एटली (ब्संउमदज ।जसमम) ब्रिटेन के प्रधान मंत्री नियुक्त हुए और लार्ड पेक्ट्रिक लारेंस भारत–सचिव बने।

भारत सचिव लार्ड पेट्रिक लारेंस ने 9 फरवरी 1946 को लार्डस सदन में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में सांविधानिक गतिरोध का समाधान करने के लिए ब्रिटिश केबिनेट मंत्रियों का एक शिष्ट मंडल (क्मसमहंजपवद) भारत भेजने का निर्णय लिया है। इस केबीनेट मिशन में भारत सचिव लार्ड पेट्रिक लारेंस, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्सः नावाधिकरण के प्रथम लार्ड (जेम थ्पतेज स्वतक वि ।कउपतंसपजल) ए.पी. एलेक्झेन्डर होंगे। यह शिष्टमंडल 23 मार्च 1946 को दिल्ली पहुँचा। उसने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, मुस्लिम लीग के नेता, देशी राजाओं तथा प्रमुख प्रांतों के मुख्य मंत्रियों से भी विचार–विमर्श किया। केबिनेट मिशन ने कुल 182 बैठकें की [13] तथा 472 भारतीयों से वार्तालाप किया तथा यह बातचीत सात सप्ताह के लगभग चली, परंतु फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता न हो सका । फलतः विवश होकर शिष्टमंडल ने अपने स्वयं का फार्मूला रखा जिसे वह इस समस्या के हल के लिए उचित समझता था। इस फार्मूले की घोषणा कैबिनेट मिशन तथा लार्ड वावेल ने संयुक्त रूप से की, जो निम्नानुसार था :–

1. भारत में एक अखिल भारतीय संघ (ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्यों से युक्त) [14] की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारत के भू–प्रदेश तथा देशी राज्य शामिल हों। इस संघ को प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों तथा दूर संचार, इन तीन विषयों के लिए शक्ति प्राप्त हो।
2. संघ की एक कार्यपालिका तथा विधानमंडल हो जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि हों। विधान मंडल में किसी गंभीर साम्प्रदायिक मामले पर उठाए गए प्रश्न का निर्णय दोनों प्रमुख समुदायों (हिन्दू तथा मुस्लिम) की उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से हो।
3. संघीय विषयों के अतिरिक्त, सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित की जानी चाहिए।
4. भारतीय देशी राज्य, समर्पित विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों और शक्तियों को अपने पास रखेंगे।
5. प्रांतों को कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने की छूट होगी और प्रत्येक समूह को यह निर्धारण करने का अधिकार होगा कि कौन से प्रांतीय विषय सामान्य रूप से लिए जाएँ।
6. संघ और समूहों के संविधान में एक ऐसा प्रावधान हो जिसके अधीन किसी भी प्रांत को उसकी विधान सभा के मतों की बहुसंख्या द्वारा प्रारंभिक दस वर्षों के बाद तथा तदोपरांत प्रति दस वर्ष के अन्तराल से, संविधान के निर्बधनों पर पुनर्विचार करने की अनुमति हो।

केबिनेट मिशन द्वारा की गई उपर्युक्त अनुशंसा के आधार पर भारत के भावी संविधान का निर्माण किया जाना था। इसके लिए संविधान–संभा का गठन किया जाना आवश्यक था।

केबिनेट मिशन का मूल्यांकन :–

इसमें संदेह नहीं कि केबिनेट मिशन ने भारत को खण्डित होने से बचाने का सद्भावपूर्ण प्रयास था और अनहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था। भारतीय देशी राज्यों को भी इन प्रस्तावों में उचित महत्व दिया गया था।

उपरोक्त गुणों के होते हुए भी केबिनेट मिशन निम्नलिखित दोषों के कारण सफल नहीं हो सका –

1. प्रांतों को तीन भागों में विभाजित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। कांग्रेस के अनुसार प्रांतों का समूहीकरण उनकी स्वेच्छा पर था जबकि मुस्लिम लीग इसे अनिवार्य समूहीकरण मानती थी। जब गांधी जी ने यह मामला निर्वचन के लिए संघीय न्यायालय (थ्मकमतंस ब्वनतज) के समक्ष रखा तो निर्णय मुस्लिम लीग के अनुकूल हुआ। इससे कांग्रेस असंतुष्ट रही।
2. वयस्क मताधिकार के अभाव में संविधान–सभा को जनता का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता था।
3. केबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार पहले प्रांतों और उनके समूहों को संविधान की रचना करनी थी तथा इसके बाद ही संघीय संविधान का निर्माण होना था। इसमें अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ थीं।
4. यद्यपि केबिनेट मिशन ने भारत के बंटवारे तथा मुस्लिम लीग की पृथक् पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट शब्दों में नामंजूर कर दिया था लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दी गई सुरक्षा के कारण हिन्दू–मुस्लिम एकता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती थी।
5. प्रस्तावित योजना में केन्द्र के पास केवल तीन विषय, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा दूरसंचार, रखे गए थे। तथा शेष विषय प्रांतीय सरकारों के अधीन थे। अतः यह स्पष्ट था कि इस योजना में केन्द्र की बजाय प्रांतों को अधिक शक्तियां प्राप्त थी।

Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-8 Issue 7-12, July - December'2020 pp.(34–42)

6. इस योजना का सबसे बड़ा दोष यह था कि या तो इसे पूरी तरह स्वीकार किया जाना था या पूरी तरह अस्वीकार किया जा सकता था। अतः इसमें समायोजन या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी।

7. इस योजना में देशी राज्यों को परिसंघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं था बल्कि यह उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था। इस तरह देशी रियासतों को दी गई यह छूट अनुचित थी।

8. प्रांतीय विधान सभाओं में यूरोपियन सदस्यों का संविधान–समिति में चुनाव तथा समूहों में स्थान योजना के उद्देश्य के प्रतिकूल था।

9. केबिनेट योजना के अन्तर्गत प्रांतों का अनिवार्य वर्गीकरण सिखों के हितों के विपरीत था क्योंकि उनके प्रांत में मुस्लिम बहुलता के कारण उन्हें मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया गया था।

कांग्रेस ने संविधान सभा में सम्मिलित होना स्वीकार किया लेकिन 29 जुलाई 1949 को मुस्लिम लीग ने केबिनेट योजना को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही का प्रस्ताव पारित किया। प्रत्यक्ष कार्यवाही 16 अगस्त 1946 से बंगाल से प्रारंभ की गई। [15.] इस दिन कलकत्ता में हत्याएँ आगजनी, बलात्कार आदि की अनेक घटनाएँ हुईं तथा मुस्लिम बहु–संख्यकों ने हिन्दू अल्पसंख्यकों के साथ अमानुषिक अत्याचार किये। इस नृशंस कांड ने मुस्लिम लीग की अखिल भारतीय छबि को धूमिल कर दिया। [16.]

कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार किया था जबकि मुस्लिम लीग इससे इन्कार कर चुकी थी।

9 दिसम्बर 1946 को निर्धारित तिथि के अनुसार दिल्ली में संविधान सभा की बैठक हई लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। ब्रिटिश सरकार ने इस गतिरोध को दूर करने के लिए पं. नेहरू तथा जिन्ना को लंदन बुलाया लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

एटली की घोषणा (फरवरी, 1947)

मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार तथा कांग्रेस–मंत्रियों की सरकार से त्यागपत देने की धमकी से उत्पन्न स्थिति अधिक दिनों तक बनाए रखना संभव नहीं था। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की संसद में वक्तव्य दिया कि जून 1948 तक भारत की सत्ता उत्तरदायी भारतीय सरकार को अन्तरित करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। अतः भारतीय विभिन्न दलों को अपने आपसी मतभेद भुलाकर उत्तरदायी सरकार का दायित्व निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि लार्ड वावेल की जगह लार्ड माउंटबैटन (स्वतक डवनदजइंजजमद) भारत के गवर्नर जनरल होंगे जो भारतीयों को शासन की सत्ता सौंपने का कार्य सम्पन्न करेंगे।

माउंटबैटन योजना (डवनदजइंजजमद च्संद)

लार्ड माउंटबेटन ने 22 मार्च 1947 को भारत के चौंतीसवें तथा अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में पदभार सँभाला। उस समय देश में सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण थी।

ब्रिटिश सरकार ने माउंटबैटन को पूर्ण अधिकारों से सुसज्जित कर भेजा था ताकि वे केबिनेट योजना के अनुसार गठित संविधान–सभा के माध्यम से स्वतंत्र भारत की स्थापना कर सकें ।

मुस्लिम लीग के विध्वंसकारी क्रिया–कलापों तथा असंख्य लोगों की हत्या से द्रवीभूत होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार बल्लभभाई पटेल ने पाकिस्तान के निर्माण पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि ''सैकड़ों निर्दोष नागरिकों की हत्या की बजाय पृथक् पाकिस्तान बन जाना ही अच्छा है।'' [17.] पं० नेहरू पाकिस्तान बनाये जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन माउंटबैटन ने उन्हें सलाह दी कि पाकिस्तान बनाकर मुस्लिम लीग से छुटकारा पा लेना ही श्रेयस्कर है। गांधी जी तो पाकिस्तान बनाए जाने के इतने विरोधी थे कि उन्होंने कहा था कि ''यदि कांग्रेस पाकिस्तान को स्वीकृति देती है, तो उसका निर्माण मेरे शव पर होगा।'' [18.] परंतु बाद में माउंटबैटन से चर्चा के पश्चात उन्होंने भारत के विभाजन के लिए सहमति दे दी।

भारतीय नेताओं की भारत विभाजन के लिए सहमति के परिणामस्वरुप माउंटबैटन ने एक योजना तैयार की तथा वे उसे ब्रिटिश संसद से पारित कराने स्वयं लंदन गए। 3 जून 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने इस योजना की घोषणा ब्रिटिश संसद में कर दी। यही योजना माउंटबैटन योजना कहलाई।

माउंटबैटन की योजना के अनुसार सत्ता अन्तरण की दिशा में कार्यवाही प्रारंभ हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक प्रारूप कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अनुमोदन के लिए प्रसारित किया गया। बाद में इस विधेयक को 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया जो 18 जुलाई को अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 :–

इस अधिनियम में कुल 20 धाराएँ तथा 2 परिशिष्ट थे। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे :–

Corresponding Author : email :

International Journal of Fundamental & Applied Research
Website : www.ijfar.org ,(ISSN- 2320-7973 Volume-8 Issue 7-12, July - December'2020 pp.(34–42)

1. अधिनियम द्वारा भारत को विभाजित कर दो अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। [19.] गवर्नर जनरल ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का दायित्व मि० जिन्ना को सौंपा तथा 15 अगस्त को भारत–गणराज्य का दायित्व भारतीय नेताओं को सौंपा। 14 अगस्त के बाद ब्रिटिश सरकार का इन दोनों राज्यों पर कोई अधिकार नहीं होगा।

2. प्रत्येक अधिराज्य (क्वउपदपवद) में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इग्लैंड के सम्राट द्रारा की जाएगी। [20.]

3. धारा 2 में दोनों अधिराज्यों की सीमाएँ निधारित की गईं तथा धारा 3 व 4 में जनमत संग्रह [21.] के आधार पर बंगाल, पंजाब तथा आसाम के विभाजन तथा उनकी सीमाओं के निर्धारण संबंधी उपबंध थे।

4. दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को उनके लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। नये संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों की सरकारें भारत शासन अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत कार्य करेंगी।

5. भारत सचिव का पद समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल सचिव की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। [22.]

6. दोनों अधिराज्यों को पूर्ण विधायी प्राधिकार दिये गए। यह उपबंध रखा गया कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात् ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून उक्त अधिराज्यों पर लागू नहीं होगा जब तक कि विधानमंडल स्वयं अधिनियम पारित कर उसे अपने क्षेत्र में लागू न कर दे। तथापि दोनों अधिराज्यों में पृथक् विधानमंडल का गठन होने तक वहाँ कि संविधान सभाएँ ही विधानमंडल का कार्य करेंगी। गवर्नर जनरल की विवेकाधिकार शक्ति दि० 15 अगस्त 1947 से समाप्त कर दी गई तथा भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 93 के अन्तर्गत प्रांतों की सरकारों की विशेषाधिकार शक्ति भी समाप्त कर दी गई। आपातकाल में गवर्नर जनरल अध्यादेश पारित कर सकता था लेकिन वह 6 माह तक ही प्रभावशील रह सकता था।

7. स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 प्रभावी होते ही भारत को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्ति मिल गई। देशी रियासतों पर भी ब्रिटिश शासन की संप्रभुता समाप्त कर दी गई।

8. इस अधिनियम की धारा 7 में यह उपबंधित था कि उत्तर–पश्चिमी सीमांत प्रांत की जन–जातियों से समझौते और वार्तालाप का कार्य उत्तराधिकारी अधिराज्य जारी रखेगा।

9. इस अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधानित था कि भारत–सचिव द्वारा नियुक्त किये गए सिविल सेवक सत्ता हस्तांतरण के बाद नये अधिराज्य में सेवा करते रहेंगे और उनकी सेवा शर्त पूर्ववर्ती शर्तों के प्रतिकूल, नहीं बदली जा सकेंगी।

10. अधिनियम में यह स्पष्ट था कि इसके लागू होते ही गवर्नर–जनरल तथा प्रांत के गवर्नर जनरलों को जारी किये गए निर्देश–लिखित (प्देजतनउमदज वि प्देजतनबजपवदे) स्वयमेव समाप्त हो जाएंगे क्योंकि उन्हें अब नये सांविधानिक प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य करना होगा।

11. धारा 11 के अनुसार भारत की सशस्त्र सेनाओं का नव–स्थापित अधिराज्यों में बँटवारे का काम गवर्नर जनरल पर सौंपा गया तथा वह विभाजन–कार्य पूरा होने तक उन्हें अपने संचालन एवं नियंत्रण में रखेगा। तथापि अधिनियम की धारा 12 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि यह व्यवस्था ब्रिटिश सेना पर लागू नहीं होगी तथा आर्मी एक्ट के अधीन पूर्ववत शासित होगी।

12. अधिनियम की धारा 19 व्याख्या से संबंधित थी जिसमें कहा गया था कि संविधान निर्मात्री–समिति से आशय ऐसी एसेम्बली से था जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चूँकि मुस्लिम लीग ने इस संविधान–समिति में अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था, इसलिए पाकिस्तान की संविधान–निर्मात्री समिति बाद में स्थापित की जानी थी।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के लागू होते ही भारत में 200 वर्षों से जारी अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया तथा ब्रिटिश सम्राट की सर्वोपरिता का अंत हो गया। भारतीय देशी राज्यों को उनकी संप्रभुता पुनः वापस मिल गई। वैसे तो नव–निर्मित भारत और पाकिस्तान के अधिराज्यों का सांविधानिक स्रोत भारत शासन – अधिनियम, 1935 में था, परंतु स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत गवर्नर जनरल अपने आदेशों द्वारा इनमें परिवर्तन कर सकता था।

इस अधिनियम की धारा 6 (2) के अनुसार इन अधिराज्यों के विधानमंडलों को यह अधिकार–शक्ति दी गई थी कि वे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किये गए किसी भी कानून या अधिनियम को भविष्य में कभी भी निरसित या संशोधित कर सकते थे। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत पर से ब्रिटिश सम्राट की ''संप्रभुता समाप्त कर दी थी अतः भारत व पाकिस्तान

Corresponding Author : email :

के भावी संविधान की वैधता के लिए किसी सम्राज्ञीय विधायन की आवश्यकता नहीं रह गई थी।

वर्तमान संविधान की रचना स्वतन्त्रता के सुख की अनुभूति भारतवासियों के लिए स्वाभाविक एवं अनोखी थी। लेकिन साथ ही एक नये संघर्ष और चुनौतियों का बोझ भी हमारे सिर पर था। यह संघर्ष था—न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, एकता एवं बन्धुत्व के आधार पर लोकतन्त्र की स्थापना करने काय यह संघर्ष था—एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्र के रूप में जीवित रहने का । इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो देश का आधारभूत विधान बन सके। अतः स्वतन्त्र भारत ने सर्वप्रथम एक नूतन संविधान के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया।

इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विशेष स्थान एवं योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे ।

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त, डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, टी. टी. कृष्णमाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल्लादी कृष्णमाचारी अय्यर, हृदयनाथ कुंजरू, सर हरीसिंह गौड़य आचार्य जे.बी. कृपालानीय डॉ. राधाकृष्णन, के. टी. शाह, सर जफरुल्ला खाँ, लियाकत अली खाँ आदि।

संविधान सभा के सभी सदस्य अत्यन्त कुशल, योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति थे। संविधान सभा ने अनेक संघर्षों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए संविधान निर्माण की अपनी दो वर्ष ग्यारह माह एवं अठारह दिन की यात्रा सफलतापूर्वक तय की । 26 नवम्बर, 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ और 26 जनवरी, 1950 को यह स्वतन्त्र भारत पर लागू हो गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नेहरू जवाहरलाल : दि डिसकवरी ऑफ इण्डिया पृष्ठ क्र. 370
2. कीथ ए.वी : कान्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पेसिफिक पब्लिकेशन, पृष्ठ क्र. 337
3. चिंतामणि सी.वाय. एवं मसानी एम.आर., इंडियन कान्सटीट्यूशन एट वर्क, एलाइड पब्लिकेशन, मुम्बई, पृष्ठ क्र. 202
4. बाबेल एवं शास्त्री डॉ. मधू : भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, पृष्ठ क्र. 82
5. परांजपे डॉ. एन.वी. : भारत का विधिक एवं संवैधानिक इतिहस, प्रकाशन सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, वर्ष 1995, पृष्ठ क्र. 82
6. सीतारमैया पी., द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टवसण prr पृष्ठ क्र. 360
7. आजाद, इण्डिया विन्स फ्रीडम, ओरियेंट ब्लेक स्वॉन, 1989 पृष्ठ क्र. 70
8. मजूमदार ए.के. : एडवेंट ऑफ इण्डिपेन्डेंस, प्रकाशक भारतीय विद्या भवन, 1963, पृष्ठ क्र. 170
9. सीमारमैया पी., द हिस्ट्री ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस टवसण prr पृष्ठ क्र. 366
10. कपूर ए.सी. कान्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, प्रकाशक – इमप्रिंट अननॉन, 1970 पृष्ठ क्र. 426
11. ग्रोवर बी.एल. , यशपाल, भारतीय स्वाधीनता संग्राम एवं संवैधानिक विकास, एस. चन्द एण्ड कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, वर्ष 2003, पृष्ठ क्र. 323
12. स्वीचेज ऑफ अर्ल वावेल, गर्वनर जनरल की प्रेस (दिल्ली 1948) पृष्ठ क्र. 74
13. राय डॉ. सत्या एम., भारत में उपनिवेशबाद आर राष्ट्रवाद, हिन्दी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय, 2009, पृष्ठ क्र. 559
14. मधुकर सुरेन्द्र, भारत का विधिक इतिहास विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार 1989, पृष्ठ क्र. 357
15. शुक्ल आर.एल., आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1998, पृष्ठ क्र. 903
16. वनर्जी एस.सी., दि कान्स्टीट्यूशनल एसेम्बली ऑफ इण्डिया टवसण r पृष्ठ क्र. 34
17. आजाद, इण्डिया विन्स, ओरियेंट ब्लेक स्वॉन, 1989, पृष्ठ क्र. 184
18. बनर्जी एस.सी., दि कान्स्टीट्यूशनल एसेम्बली ऑफ इण्डिया टवसण rrr पृष्ठ क्र. 377

Corresponding Author : email :

19. बाबेल डॉ. बसन्ती लाल, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, वर्ष 2000, पृष्ठ क्र. 15

20. बाबेल डॉ. बी.बी और शास्त्री डॉ मधु, भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर, वर्ष 2008 पृष्ठ क्र. 92

21. परांजप डॉ. एन.वी., सेन्ट्रल लॉ एजेंसी वर्ष 1995, पृष्ठ क्र. 469

22. मधुकर सुरेन्द्र, विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार, 1989, पृष्ठ क्र. 361

Corresponding Author : email :